

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिंग
विद्युत वितरण खण्ड, द्वितीय-धामपुर

नोंक-

पत्र संख्या..... ५६७१..... वि०वि०ख०द्वि०धा०/ तक०

पूर्ण जमा योजना

दिनांक... २२/०८/२०२३

श्रीमति कृष्ण पत्नि श्री संसार सिंह निवासी पटटी पो० बुढ़नपुर ताहा० धामपुर जिला विजनौर।

निपथ्य:- पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत निजी भलकूप विद्युत संयोजन की टी०सी० निर्गत करने के सम्बन्ध में।

कृपया आपको अवगत कराना है कि आपके द्वारा पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत ०८ एच०पी० पटटी नलकूप का विद्युत संयोजन लेने हेतु आवेदन किया गया है जिसका प्रावक्कलन बनाकर अवर अभियन्ता, ३३/११ केवी विद्युत उपकेन्द्र, लाट जट व उपखण्ड अधिकारी अफजलगढ़/स्योहारा/भिक्कावाला/द्वितीय स्योहारा द्वारा बनाकर इस कार्यालय को दिया गया जिसे स्वीकृत कर टी०सी० आपको इस आश्य से प्रेषित है कि निम्न विवरण के अनुसार उक्त टी०सी० की धनराशि इस कार्यालय में जमा करने की कृपा करें, धनराशि का विवरण इस प्रकार है -

	विवरण	धनराशि
1	जमानत राशि	2400.00
2	इलैपटानिक ३ फेस	2921.00
3	प्रावक्कलन की धनराशि	51527.00
4	लेवर चार्जेज / फिक्स चार्ज	2036.00
	कुल योग	58884.00

आवेदनकर्ता उपरोक्त धनराशि इस पत्र पर अंकित दिनांक से १ महीने के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में वर्तमान कास्ट शेडयूल के अनुसार पुनः टी०सी० को संशोधित कर निर्गत की जायेगा।

आवेदनकर्ता उक्त धनराशि को जनसेवा केन्द्र/नेट बैंकिंग/डेविट कार्ड/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाईन पोर्टल पर जाकर जमा कर सकते हैं।

आवेदनकर्ता उक्त धनराशि को जमा करने उपरान्त विद्युत सुरक्षा निदेशालय के निरीक्षण शुल्क जमा करने हेतु भारतीय रेटट बैंक में चालान जमा कर अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेगा।

आवेदनकर्ता को 100 रुपये का स्टाम्प पेपर के साथ खण्ड कार्यालय में अनुबन्ध पूर्ण कराना होगा।

लाईन का निर्माण करने के उपरान्त उपखण्ड अधिकारी को समय से अवगत कराना होगा जिससे साईट पर लगी सामग्री निरीक्षण कर अपनी आख्या इस कार्यालय को प्रेषित कर सकें।

लाईन का निर्माण के पश्चात लाईन की गुणवत्ता की जाँच उपखण्ड अधिकारी करेंगे।

आवेदनकर्ता पत्र में अंकित सभी शर्तों को पूर्ण करने के उपरान्त ही अपना संयोजन निर्गत करा सकते हैं

अधिकारी को उपरोक्त प्रस्ताव को रद्द करने का पूर्ण अधिकार है।

नोट:- आवेदकर्ता को मीटर व संट कैपेस्टर लागाने हेतु कोठरी का निर्माण कराना अति आवश्यक है तभी टी०सी मान्य होगी।

अधिशासी अभियन्ता